न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला चितौडगढ राज0

पीठासीन अधिकारीः– मुकेश कुमार मीणा R.A.S.
प्रकरण संख्या 117/2016 रेवेन्यू वाद

नन्दलाल पिता गोकल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी फलौदी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0।

............वादी

बनाम

1– धनकंवर पुत्री गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी फलौदी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0 हाल धनकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत नि0 नेहरू रोड, रामस्नेही अस्पताल के पास भीलवाडा राज0।

2– हरीश पोरवाल पुत्री भगवतीप्रसाद पोरवाल उम्र 30 वर्ष निवासी नाडी मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0।

3– भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चितौडगढ राज0।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा

उपस्थितीः–
1–बंशीलाल गर्ग, प्रवीण गर्ग, हेमन्त गर्ग वकील वादी उपस्थित
2–अशोक जागेटिया वकील प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.12.2019

वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि, वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इन तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया कि, मौजा फलौदी तहसील गंगरार में श्री गोविन्दसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत नि0 फलौदी थे जिनका सन् 1988 में स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनकी समस्त कृषि भूमि जरिये नामान्तरकरण सं. 92 उनकी विधवा श्रीमती रतन कंवर एवं पुत्री श्रीमती धनकंवर प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित हूई और श्रीमती रतनकंवर जो स्व0 गोविन्दसिंह की विधवा पत्नी थी उनका भी सन् 2010 में स्वर्गवास हो गया और गोविन्द सिंह जी की कुलिया आराजियात उनकी पुत्री प्रतिवादी सं. 1 के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 569 से दर्ज हो गई। अन्य आराजियात का कोई विवाद नही हैं केवल निम्न आराजियात का विवाद हैं:–

आराजी नंबर	रकबा	लगान
385/1226	0.15 बंजड	0.15 पैसे
386	0.91 बंजड	0.91 पैसे
387/1227	0.50 बंजड	0.50 पैसे

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

किता 3 रकबा 1.56 हैक्टर लगान 1.56 पैसा पुष्टि में नकल जमाबन्दी गोविन्दसिंह, रतनकंवर, धनकंवर प्रस्तुत है। वादी जाति से दरोगा हो कर जागीरदार के पीढी दर पीढी सेवक रहे हैं और चूंकि, गोविन्दसिंह जी लडका नही होने से वादी उनके साथ रह कर गोविन्दसिंह जी एवं रतनकंवर की सेवा चाकरी करता चला आ रहा है। वादी की सेवाओ से खुश हो कर गोविन्दसिंह जी ने अपने जीवनकाल में उक्त जमीन वादी को वसीयत कर दी और मौखिक वसीयत से ठिकाने की तरफ से परम्परा व रिवाज अनुसार वादी को कब्जा दे दिया औश्र गोविन्दसिंह जी के देहावसान के वाद उनकी इच्छानुसार उनकी पत्नी रतनकंवर व पुत्री धनकंवर ने मिति फाल्गुन बुदी 2 रविवार सं. 2046 दिनांक 11.02.1990 को गांव व रिश्तेदारो की मौजूदगी में रतनकंवर ने वादी के हक में स्वेच्छा से वसीयतनामा लिख कर तकमिल दे दिया। उसके वाद रतनकंवर बेवा गोविन्दसिंह का भी 2010 में स्वर्गवास हो गया और स्व0 गोविन्दसिंह व रतनकंवर की कुलिया आराजियात वादग्रस्त आराजियात सहित धनकंवर के नाम आ गई जिसकी वादी को कोई जानकारी नही हूई। प्रतिवादी ने इरादतन दुर्भावनापूर्वक नामान्तरकरण छुपाये रखा जबकि, वादी वादग्रस्त जमीन पर काबिज हो उपभोग उपयोग कर रहा है जो प्रतिवादी की जानकारी में है। प्रतिवादी सं. 1 के मन में बेईमानी आ जाने से इन्द्राज का लाभ उठा कर अन्य आराजियात के साथ वादग्रस्त आराजियात भी दिनांक 10.08.2011 को प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर दी। यह विक्रय पत्र वादी के हितो के मुकाबले शून्य, निष्प्रभावी है। वादी इस विक्रय पत्र से कतई पाबन्द नही हैं क्योकि, वादग्रस्त आराजियात पर वादी 1998 से काबिज है जिसकी स्वीकारोक्ति एवं पुष्टि दिनांक 11.2.1990 को रतनकंवर व प्रतिवादी सं. 1 ने वसीयतनामें में की। कब्जे को करीब 22 वर्ष हो गये है इस आधार पर वादी मालिक हो चुका है। दिनांक 10.08.2011 को तैयार किया गया विक्रय पत्र वादी के हक अधिकारो के मुकाबिले प्रभावशून्य है। बिना कब्जे के विक्रय पत्र शून्य है जिसे निरस्त कराने की आवश्यकता ही नही है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अवैध विक्रय पत्र के आधार पर जबरन वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिससे वादी न्यायालय से घोषणा करना चाहता हैं कि, उक्त जमीन का वादी मालिक है व नामान्तरकरण सं. 569 दिनांक 07.04.2010 शून्य घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 , 2 ने राखी के दो तीन दिन पहले आ कर कहा कि, वादी को मारपीट कर भगा देगे, अपराधी प्रवृति के व्यक्तियो को ला कर जबरन कब्जा कर लेगे। विरोध किया तो जान से हाथ धोना पडेगा। इसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि, वादग्रस्त आराजियात का कब्जा नही करे व विक्रय पत्र के आधार पर खाता रद्दोबदल नही करावे। वाद कारण दिनांक 11.08.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकीया देने से उत्पन्न हो कर जारी है जिससे वाद अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद डिक्री फरमाया जा कर ग्राम फलौदी के आराजी नंबर 385/1226, 386, 387/1227 को वादी के खातेदारी में घोषित फरमाई जावे व नामान्तरकरण सं. 569 दिनांक 07.04.2010 को सीमा पर निरस्त घोषित किया जावे वगैरह।

वादी का वाद बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये मय नकल दावा सम्मन तलब किया गया जिसमें से प्रतिवादीगण सं. 1,2 की ओर से अधिवक्ता अशोक जागेटिया ने उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया कि, गोविन्दसिंह जी ने अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नही की है ना ही कब्जा दिया है तथा गोविन्दसिंह जी की प्रार्थी ने कभी सेवा चाकरी नही की है और रतनकंवर व धनकंवर ने वादी के नाम कोई वसीयत नही की है, वादी को कब्जा भी सिपूर्द नही किया है। धनकंवर के हक अधिकार व कब्जे की आराजियात को विक्रय करने का अधिकार होने से प्रतिवादी सं.2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2011 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया और वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 काबिज है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा नही है विक्रय पत्र के पहले धनकंवर का विक्रय के पश्चात् प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा चला आ रहा है। वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2011 को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना कोई

उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

अधिकार प्राप्त नही होते है। राजस्व न्यायालय को दस्तावेज विक्रय पत्र को शून्य या निरस्त करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा नही हैं तो धमकीया देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दिनांक 11.08.2011 को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। अतः जब जवाब स्वीकार फरमाया जा कर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे वगैरह।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार निम्न तनकीयात विरचित की गई—

1— आया वादी ग्राम फलौदी की आराजी संख्या 385/1226, 386 एवं 387/1227 कुल किता 3 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

2— आया वादी वादग्रस्त आराजियात का वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

3— आया ना0 सं. 569 दिनांक 07.04.2010 वादग्रस्त आराजियात की सीमा तक निरस्त घोषित करवाने के अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

4— आया वादग्रस्त आराजियात का वादी के पक्ष में कोई वसीयत नही की गई।

..............जिम्मे प्रतिवादी

5— आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा कास्त नही है।

..............जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने अपने जिम्मे की तनकी को साबित करने के लिए साक्ष्य वादी में वादी की ओर से PW-1 नन्दलाल पिता गोकल दरोगा नि0 फलौदी, PW-2 शंकर पिता बालु सुथार नि0 फलौदी, PW-3 ईश्वरसिंह पिता समरथसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-4 रूपसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-5 बंशीलाल पिता छोगालाल ब्राह्मण नि0 फलौदी के लिखित शपथ—पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत पेश किये तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये जिन पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई।

प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की तनकी को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी की ओर से DW-1 धनकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपूत नि0 फलौदी, DW-2 हरीश पिता भगवतीप्रसाद पोरवाल नि0 भीलवाडा, DW-3 डालू पिता देवीलाल जाट नि0 बोहेडा, DW-4 भेरूलाल पिता कस्तुरलाल खटीक नि0 मंगरोप, DW-5 नारायणलाल पिता हीरा जाट नि0 बोरडा के लिखित शपथ—पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत पेश किये जिन पर वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह किये जाने से पूर्व पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 27.7.2015 को राजस्व शिविर "न्याय आपके द्वार" केम्प कुवालिया में प्रस्तुत हूई, और वाद क्षैत्राधिकार का नही होने से वाद वादी खारिज किया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ को अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार हो कर अभय पक्ष को साक्ष्य व सूनवाई का अवसर दे कर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हूए दुबारा निर्णय करने हेतू पत्रावली पुनः रिमाण्ड हो कर प्राप्त हूई। जो पुनः दर्ज रजिस्टर की जा कर सूनवाई हेतू नियत की गई और उपभ पक्ष को सूनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया जिस पर प्रतिवादी की ओर से DW-1 धनकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपूत नि0 फलौदी, DW-2 हरीश पिता भगवतीप्रसाद पोरवाल नि0 भीलवाडा, DW-4 भैरू पिता कस्तूर खटीक नि0 मंगरोप की जिरह कराई गई। शेष गवाह की जिरह के लिए प्रतिवादी को कई अवसर प्रदान किये लेकिन गवाह पेश नही करने से उनकी जिरह बन्द की गई और पत्रावली में उपस्थित वकील फरिकेन की बहस सूनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, जिला-चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का निरीक्षण व मनन करने के उपरान्त हम निम्न तनकीवार निर्णय करना उचित समझते हैं।

1– आया वादी ग्राम फलौदी की आराजी संख्या 385 / 1226, 386 एवं 387 / 1227 कुल किता 3 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

कि, इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था और वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेज के रूप में प्रदर्श–1 वसीयतनामा, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सं. 2063–66 खाता सं. 232 की नकल, प्रदर्श–3 इन्तकाल नंबर 92 की नकल, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सं. 2067–70 खाता सं. 114 की नकल, प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की तथा गवाह PW-1 नन्दलाल पिता गोकल दरोगा नि0 फलौदी, PW-2 शंकर पिता बालु सुथार नि0 फलौदी, PW-3 ईश्वरसिंह पिता समरथसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-4 रूपसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-5 बंशीलाल पिता छोगालाल ब्राह्मण नि0 फलौदी के शपथ–पत्र पेश किये जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2– आया वादी वादग्रस्त आराजियात का वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

कि, इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर था और वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श–1 वसीयतनामा, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सं. 2063–66 खाता सं. 232 की नकल, प्रदर्श–6 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 10.8.2011 प्रस्तुत किये तथा गवाह PW-1 नन्दलाल पिता गोकल दरोगा नि0 फलौदी, PW-2 शंकर पिता बालु सुथार नि0 फलौदी, PW-3 ईश्वरसिंह पिता समरथसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-4 रूपसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-5 बंशीलाल पिता छोगालाल ब्राह्मण नि0 फलौदी के शपथ–पत्र पेश किये जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3– आया ना0 सं. 569 दिनांक 07.04.2010 वादग्रस्त आराजियात की सीमा तक निरस्त घोषित करवाने के अधिकारी है।

..............जिम्मे वादी

कि, इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर था और वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए गवाह PW-1 नन्दलाल पिता गोकल दरोगा नि0 फलौदी, PW-2 शंकर पिता बालु सुथार नि0 फलौदी, PW-3 ईश्वरसिंह पिता समरथसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-4 रूपसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत नि0 फलौदी, PW-5 बंशीलाल पिता छोगालाल ब्राह्मण नि0 फलौदी के शपथ–पत्र पेश किये व जिरह कराई जिससे यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4– आया वादग्रस्त आराजियात का वादी के पक्ष में कोई वसीयत नही की गई।

..............जिम्मे प्रतिवादी

कि, इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादी पर था और प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए DW-1 धनकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपूत नि0 फलौदी, DW-2 हरीश पिता भगवतीप्रसाद पोरवाल नि0 भीलवाडा, DW-3 डालू पिता देवीलाल जाट नि0 बोहेडा, DW-4 भेरूलाल पिता कस्तुरलाल खटीक नि0 मंगरोप, DW-5 नारायणलाल पिता हीरा जाट नि0 बोरडा के लिखित शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किये लेकिन जिरह के लिए गवाह के रूप में केवल धनकंवर, भैरू, हरीश को

...कलेक्टर एवं
...उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

ही प्रस्तुत किया शेष गवाह से जिरह नही कराई जिससे वसीयतनामे की काट में कोई दस्तावेज पेश नही किये और न ही प्रदर्श कराये जिससे यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5— आया वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा कास्त नही है।

...............जिम्मे प्रतिवादी

कि, इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादी पर था और प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए DW-1 धनकुंवर पुत्री गोविन्दसिंह राजपूत नि0 फलौदी, DW-2 हरीश पिता भगवतीप्रसाद पोरवाल नि0 भीलवाडा, DW-3 डालू पिता देवीलाल जाट नि0 बोहेडा, DW-4 भेरूलाल पिता कस्तुरलाल खटीक नि0 मंगरोप, DW-5 नारायणलाल पिता हीरा जाट नि0 बोरडा के लिखित शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किये लेकिन जिरह के लिए गवाह के रूप में केवल धनकंवर, भैरू, हरीश को ही प्रस्तुत किया शेष गवाह से जिरह नही कराई इसके अलावा कोई दस्तावेज इस तनकी को साबित करने के लिए पेश नही किया जिससे यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

कि, उपरोक्त तीनो तनकीयात वादी के पक्ष में निर्णित होने से तथा अंतिम दोनो तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य रहता है और वादी खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की दाद प्राप्त करने के अधिकारी रहता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जा कर अंतिम डिक्री किया जाता हैं कि, मौजा फलौदी प0ह0 रघुनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0 के वर्तमान आराजी नंबर 385 / 1226, 386, 387 / 1227 किता 3 रकबा 1.56 हैक्टर को वादी के खातेदारी में घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि, वादी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सूनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 21 नियम 6,7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला चितौडगढ

पीठासीन अधिकारीः— मुकेश कुमार मीणा R.A.S.

नन्दलाल पिता गोकल जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी फलौदी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0। ....वादी	बनाम	1—	धनकंवर पुत्री गोविन्दसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी फलौदी तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0 हाल धनकंवर पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत नि0 नेहरू रोड, रामस्नेही अस्पताल के पास भीलवाडा राज0।
		2—	हरीश पोरवाल पुत्री भगवतीप्रसाद पोरवाल उम्र 30 वर्ष निवासी नाडी मोहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0।
		3—	भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चितौडगढ राज0। ....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा एवं निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 117/2016 रेवेन्यू वाद

वादीगण की ओर से **श्री बंशीलाल गर्ग, प्रवीण गर्ग, हेमन्त गर्ग अधिवक्ता** की और प्रतिवादीगण की ओर से **श्री अशोक जागेटिया अधिवक्ता** की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक 31.12.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि,

वादी का वाद स्वीकार किया जा कर अंतिम डिक्री किया जाता हैं कि, मौजा फलौदी प0ह0 रघुनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चितौडगढ राज0 के वर्तमान आराजी नंबर 385/1226, 386, 387/1227 किता 3 रकबा 1.56 हैक्टर को वादी के खातेदारी में घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि, वादी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना—2 वहन करे।

और इस वाद के खर्चे पर.........×.........प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....×.... द्वारा.......×.......को दी जावें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.12.2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगरार

वाद के खर्चे

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1—स्टाम्प वाद पत्र		1—स्टाम्प वाद पत्र	
2—स्टाम्प वकालतनाम		2—स्टाम्प वकालतनाम	
3—प्रदर्श के लिए स्टाम्प		3—प्रदर्श के लिए स्टाम्प	
4—प्लीडर की फीस		4—प्लीडर की फीस	
5—गवाह का निर्वाह व्यय		5—गवाह का निर्वाह व्यय	
6—कमिश्नर फीस		6—कमिश्नर फीस	
7—आदेशिका की तामिल		7—आदेशिका की तामिल	
8—विविध		8—विविध	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगरार

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Kumar Meena
Date: 2020.03.14 15:21:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: